(b) if sc, what are the details I thereof and the results achieved so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (fa) With a view to ensure that the various industries take effective measures to curb pollution, a number of steps have been taken by the Gov-ememnt. In the letters of intent issued to undertakings for setting up fresh industrial capacities, a condition is invariably stipulated to ensure that the undertakings take adequate steps to the satisfaction of the Government to prevent air, water and soil pollution. In respect of chemicals, drugs and pharmaceutical industries which involve "process hazards" in additional condition is imposed in the industrial approvals to ensure safety in plants before going into trial production. In respect of the 20 highly polluting industries the following stringent conditions have also been incorporated in the letter of intent issued to the undertakings.

(i) The State Director of Industries confirm that the site of the project has been approved from the environmental angle by the competent State authority;

(ii) The entrepreneur commits both to the State Government and the Central Government that he will instal the appropriate equipments and implement the prescribed measures fori the prevention and control of pollution;

(iii) Tlie concerned State Pollution Control Board has certified that the proposal meets with the environmental requirements and that the equipments installed or proposed to be installed are adequate and appropriate to the requirements.

Letters of intent are converted into industrial licences after the prescribed conditions are fulfilled to the satisfaction of the Government.

These steps have facilitated Government in ensuring the industries instal adequate and appropriate pollution control equipments to prevent environmental pollution and also in discduragjing polluting idustries being set up in ecologically sensitive areas.

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

1000. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजादी के 38 वर्ष व्यतीत होने और 22 वर्ष से राजभाषा अधिनियम लागू होने तथा 18 वर्ष से हिन्दी के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने के बाद भी कम से कम उन राज्यों के, जो "क" और "ख" क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, और केन्द्र के न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषाओं के प्रयोग, प्रचार और प्रसार में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कोई सुविचारित योजना तैयार की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 348 (2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और उसके द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । इस प्रकार किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग के बारे में

पहल करना राज्य सरकार का कार्य है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका तभी प्रारंभ होती है जब उक्त संवैधानिक और विधिक उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति अभिप्राप्त करने का प्रश्न उठता है। अभी तक, क्षेत्र "क" में केवल चार उच्च न्यायालयों को, अर्थात्, इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को, अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में करने और निर्णय, आदि देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की बाबत स्वयं राज्य सरकारें विनिश्चय करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उपबन्ध है कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर बल दिया गया है और विधि और न्याय मंत्रालय, राजभाषा से संबंधित संविधान के भाग 17 के, राजभाषा अधिनियम, 1963 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के तथा इस बारे में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, कार्रवाई करने का भरसक प्रयत्न करता है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की बाबत राजभाषा विभाग द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय इस बाबत पूर्ण प्रयत्न करता है कि इस कार्यक्रम को यथासंभव अधिक से अधिक कार्यान्वित किया जाए।

उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा के प्रयोग की बाबत, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा कोई केन्द्रीय योजना बनाई जाने के लिए गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसकी पहल संबद्ध राज्य सरकारों की ओर से की जानी चाहिए। यह क्षेत्र बहुत जटिल है और इसके लिए सतर्कतापूर्ण प्रयास अपेक्षित है। जब तक कि संबद्ध भाषा में विधिक साहित्य अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाता और विधि व्यवसायी न्यायालयों में उस भाषा में बहस आदि करने में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक संबद्ध राज्यों के लिए यह संभव नहीं है कि वे उच्च न्यायालयों में उस भाषा के प्रयोग पर विचार कर सकें।

हिन्दी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1001. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
डा० बापू कालिदास :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा मंत्रालय में पिछले 18 वर्षों में किसी भी वर्ष में हिन्दी का प्रगामी कार्यक्रम पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है और एक वर्ष में चार बैठकें भी नहीं होती हैं तथा राजभाषा समिति के अध्यक्ष और सदस्य स्वयं अपने कार्य में राजभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके द्वारा हिन्दी में अलग-अलग कितने प्रतिशत कार्य किया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम की अनेक मदें ऐसी हैं जिन्हें ऊर्जा मंत्रालय में लगभग 100 प्रतिशत पूरा किया जाता है—जैसे हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट कागज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना, संसद/संसदीय समितियों को सभी कागज अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी दोनों में) प्रस्तुत करना, हिंदी दिवस समारोहों का आयोजन, पुस्तकालय के लिए हिन्दी सामग्री की खरीद आदि। परन्तु कुछ अन्य मदों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को यथासंभव व्यवहारिक सीमा तक पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

(ख) और (ग) ऊर्जा मंत्रालय के विभागों में विगत समय में काफी परिवर्तन होता रहा है। अतः हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में कठिनाई हुई थी। किन्तु भविष्य में समिति का काम सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया है कि मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाए ताकि समिति